TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts from tax payable under section 4-D of the said Act on vehicles driven solely on electric battery.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27C] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora) Joint Secretary to Government

5

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च 08, 2016

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, केवल विद्युत बैट्री से चलने वाले यानों पर उक्त अधिनियम की धारा 4-घ के अधीन संदेय कर से इसके द्वारा, छूट देती है।

> [सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27सी] राज्यपाल के आदेश से,

26 डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव

3